पंद्रहवीं शाबान की रात का जश्न मनाने का हुक्म

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

< باللغة الهندية >

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

अनुवाद : अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

पंद्रहवीं शाबान की रात का जश्न मनाने का हुक्म

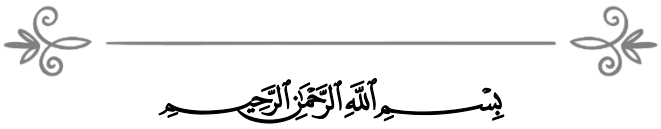

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करनेवाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देनेवाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पंद्रहवीं शबान की रात का जश्न मनाने का हुक्म

सभी प्रशंसायें उस अल्लाह के लिए योग्य हैं जिसने हमारे लिए दीन को मुकम्मल किया और हमारे ऊपर नेमत को परिपूर्ण कर दिया, तथा अल्लाह की दया व शांति अवतरित हो उसके नबी और पैगंबर तौबा और दया के ईशदूत मुहम्मद पर।

हम्द व सलात के बाद!

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة :3]

''आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म संपूर्ण कर दिया, और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दीं और इस्लाम को तुम्हारे लिए धर्म स्वरूप पसन्द कर लिया।'' (सूरतुल मायदा : 3)

तथा फरमाया :

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [سورة الشورى : 21]

"क्या उनके कुछ ऐसे (ठहराए हुए) साझीदार हैं, जिन्होंने उनके लिए ऐसा धर्म निर्धारित कर दिया है जिसकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी?" (सूरतुश्शूराः 21)

तथा बुखारी और मुस्लिम में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया कि आप ने फरमाया :

''जिसने हमारी इस शरीअत में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जिसका उससे कोई संबंध नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकृत) है।''

तथा सहीह मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्हो ने कहा कि अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने जुमा के खुत्बा में फरमाया करते थे : ''सर्वश्रेष्ठ बात अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की किताब है, और सब से बेहतरीन तरीक़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तरीक़ा है, और सब से बुरी बात धर्म में नयी ईजाद कर ली गई चीज़ें (यानी बिदअतें) हैं, और हर बिदअत (यानी धर्म में हर नयी ईजाद कर ली गई चीज़) पथ–भ्रष्टता है।''

इस अर्थ की आयतें और हदीसे बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रमाण स्पष्ट रूप से इस बात पर तर्क स्थापित करते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने इस उम्मत के लिए उसके धर्म को पूर्ण कर दिया, उस पर अपनी अनुकंपा (अनुग्रह) पूरी कर दी, और अपने नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को उस समय तक मृत्यु नहीं दी जब तक कि आप ने स्पष्ट रूप से धर्म का प्रसार न कर दिया, और उम्मत के लिए हर उस कर्म और कथन को स्पष्ट न कर दिया जिसे अल्लाह ने उसके लिए धर्म संगत करार दिया है। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आपके बाद लोग जो भी कथन और कर्म ईजाद करते हैं और उसे इस्लाम धर्म से संबंधित कर देते हैं, वह सब का सब बिदअत है उसे उसके ईजाद करनेवाले के मुँह पर मार दिया जायेगा, भले ही उसका उद्देश्य अच्छा (इरादा नेक) हो। वास्तविकता यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा (साथियों) ने और इसी तरह उनके बाद इस्लाम के विद्वानों ने इस तथ्य को पहचाना। चुनाँचे उन्हों ने बिदअतों का खण्डन किया, और उनसे सावधान किया, जैसा कि सुन्नत का सम्मान करने और बिदअत का खण्डन करने के बारे लिखने वाले प्रत्येक लेखक ने इसका उल्लेख किया है जैसे– इब्ने वज़्ज़ाह, तर्तूशी, और अबू शामा वगैरह।

कुछ लोगों ने जो बिदअतें ईजाद कर ली हैं, उनमें से एक : पंद्रहवीं शाबान की रात को जश्न मनाने और उसके दिन को रोज़ा के साथ विशिष्ट करने की बिदअत है। जबकि इस बात पर कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसपर भरोसा किया जा सके। इसकी फज़ीलत (विशेषता) के विषय में कुछ ज़ईफ (कमज़ोर) हदीसें वर्णित हैं जिनपर भरोसा करना जायज़ नहीं है। जहाँ तक इस रात में विशिष्ट नमाज़ के संबंध में वर्णित हदीसों का मामला है तो वह सब मौज़ूअ (मनगढ़त) हैं। जैसा कि बहुत से विद्वानों ने इस बात पर चेतावनी दी है। उनकी कुछ बातों का वर्णन इन शा अल्लाह आगे आयेगा। इसी तरह उसके बारे में अहले–शाम आदि के कुछ पूर्वजों (सलफ) से कुछ आसार (घटनायें) भी वर्णित हैं। परंतु जिस बात पर जमहूर विद्वानों की सर्वसहमति है वह यह है कि उसका जश्न मनाना बिदअत है, और उसके बारे में

वर्णित हदीसें सब की सब कमज़ोर (ज़ईफ) हैं, और कुछ मौजूअ (मनगढ़त) हैं। इस पर चेतावनी देने वाले विद्वानों में हाफिज़ इब्न रजब अपनी किताब (लताइफुल मआरिफ) में और उनके अलावा अन्य विद्वान हैं। तथा ज़ईफ हदीसों पर केवल उन इबादतों के अंदर अमल किया जायेगा जिनका असल सहीह प्रमाणों के द्वारा साबित हो चुका है। लेकिन पंद्रहवीं शाबान की रात को जश्न मनाने का कोई सही असल (आधार या सबूत) नहीं है कि उसके लिए ज़ईफ हदीसों का सहारा लिया जाए।

इस महान नियम को इमाम अबुल–अब्बास शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह ने उल्लेख किया है। और मैं आपके लिए : ऐ पाठक! उस चीज़ का उल्लेख कर रहा हूँ जो कुछ विद्वानों ने इस मुद्दे के बारे में उल्लेख किया है, ताकि आप इस बारे में अवगत रहें। विद्वानों ने इस बात पर सर्वसहमति व्यक्त की है कि अनिवार्य यह है कि : जिन मुद्दों में लोगों ने मतभेद किया है उन्हें अल्लाह सर्वशक्तिमान की किताब और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की ओर लौटाया जाए। चुनाँचे वे दोनों या उनमें से कोई एक जो फैसला कर दें वही शरीअत है जिसका पालन करना अनिवार्य है। और जो उन दोनों के विरूध है उसे छोड़ देना अनिवार्य है। और उन दोनों में जो इबादतें वर्णित नहीं हैं, वह बिदअत हैं जिनका करना जायज़ नहीं है, उसकी ओर आमंत्रित करना और उसे अच्छा ठहराना तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने सूरतुन्निसा में फरमाया :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [سورة النساء

[59:

''ऐ ईमान वालो! आज्ञापालन करो अल्लाह तआला की, और आज्ञापालन करो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की और तुम में अख्तियार वालों की। यदि तुम किसी

चीज़ के बारे में मतभेद कर बैठो तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ, यदि तुम अल्लाह तआला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, यह बेहतर और परिणाम के एतिबार से बहुत अच्छा है।'' (सूरतुन्निसा : 59)

तथा अल्लाह ने फरमाया :

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [سورة الشورى : 10]

"जिस चीज़ में तुमने विभेद किया है उसका फ़ैसला तो अल्लाह के हवाले है।" (सूरतुश्शूरा : 10)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

[سورة آل عمران :31]

कह दीजिए, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, स्वयं अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील, दयावान है।" (सूरत आल इम्रानः 31)

तथा अल्लाह सर्वशक्तिमान ने फरमाया :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء : 65]

''(हे मुहम्मद!) आपके पालनहार की क़सम! यह लोग उस समय तक पक्के मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आप को अपने आपसी विवादों में हकम् (न्यायकर्ता) न मान लें, फिर आप उनके बीच जो फैसला कर दें उसके बारे में

अपने दिलों में कोई तंगी और अप्रसन्नता न महसूस करें, बल्कि सम्पूर्ण रूप से उसे स्वीकार कर लें।'' (सूरतुन–निसा : 65)

इस अर्थ की आयतें बहुत हैं, और ये इस बारे में स्पष्ट प्रमाण हैं कि मतभेद के मसाइल (विवादित मुददों) को कुरआन व सुन्नत की ओर लौटाना अनिवार्य है, तथा उन दोनों के फैसलों से राज़ी होना अनिवार्य है, और यह कि यही ईमान की अपेक्षा है। और वही लोक व परलोक में बंदों के लिए बेहतर है, तथा अंजाम (परिणाम) स्वरूप सबसे अच्छा है।

हाफिज़ इब्ने रजब – रहिमहुल्लाह – अपनी किताब (लताइफुल मआरिफ) में इस मुददा के बारे में फरमाते हैं, जिसकी इबारत यह है : ''अहले–शाम के ताबेईन जैसे खालिद बिन मअदान, मकहूल, और लुक़मान बिन आमिर वगैरहुम आर्द्ध शाबान की रात का सम्मान करते थे और उसमें इबादत के अंदर भरपूर परिश्रम करते थे, और उन्हीं से लोगों ने उसकी फज़ीलत और सम्मान को ग्रहण किया है। तथा यह भी कहा गया है कि : उन्हें इस बारे में इस्राईली रिवायतें पहुँची थीं। चुनाँचे जब उनके बारे में यह चीज़ प्रसिद्ध हो गई, तो लोगों ने उसके बारे में मतभेद किया। उनमें से कुछ लोगों ने उनसे यह बात स्वीकार कर लिया और उसका सम्मान करने पर उनके साथ सहमति जताई। उन्हीं में से अहले–बसरा इत्यादि के इबादतगुज़ारों का एक समूह है। जबकि हिजाज़ के अधिकांश विद्वानों ने, जिनमें अता और इब्ने अबी मुलैका शामिल हैं, इसका इनकार किया। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ने इसे मदीना वालों के फुक़हा से उल्लेख किया है। यही मालिक के अनुयायियों आदि का भी कथन है। उनका कहना है कि : यह सब बिदअत है। शाम वालों के विद्वानों ने उस (रात) को जागने के तरीक़े के बारे में दो कथनों पर मतभेद किया है :

प्रथम : उनमें से एक यह है कि : उसे मस्जिदों के अंदर सामूहिक तौर पर गुज़ारना मुसतहब है। खालिद बिन मअदान और लुक़मान बिन आमिर वगैरहुमा इस रात में अपने अच्छे कपड़े पहनते थे। धूनी इस्तेमाल करते और सुर्मा लगाते थे, और अपनी वह रात मस्जिद में अल्लाह की इबादत में बिताते थे। इसहाक़ बिन राहवैह ने इस

पर उनके साथ सहमति जताई है, और मस्जिदों में सामूहिक रूप से उस रात को क़ियाम करने के बारे में फरमाया है कि : वह बिदअत नहीं है। इसे हर्ब अल–किर्मानी ने अपने मसाइल में उल्लेख किया है।

दूसरा : यह कि उस रात में नमाज़ पढ़ने, कहानी कहने और दुआ करने के लिए मस्जिदों में एकत्र होना अनेच्छिक (मकरूह) है, जबकि आदमी का व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नमाज़ पढ़ना अनेच्छिक नहीं है। यह शाम वालों के इमाम, उनके धर्म शास्त्री और ज्ञानी औज़ाई का कथन है, और इन शा अल्लाह यही विचार (मत) शुद्धता के अधिक निकट है। यहाँ तक कि उन्हों ने आगे कहा : पंद्रह शाबान की रात के बारे में इमाम अहमद की कोई बात परिचित नहीं है। तथा ईद की दोनो रातों को क़ियाम करने के बारे में उनकी दो रिवायतों से : उस रात को इबादत में बिताने के मुसतहब होने के बारे में उनसे दो कथन निकलते हैं, क्योंकि (एक रिवायत में) उन्हों ने सामूहिक रूप से उसका क़ियाम करने को एच्छिक नहीं समझा है। क्योंकि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा से वर्णित नहीं है। जबकि (एक रिवायत में) उन्हों ने उसे मुसतहब समझा है, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन अल–असवद ने इसे किया है और वह ताबेईन में से हैं। इसी तरह आधे शाबान की रात को क़ियाम करना भी है, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा से कोई चीज़ प्रमाणित नहीं है, जबकि उसके बारे में अहले शाम के कुलीन शास्त्रियों में से ताबेईन के एक समूह से प्रमाणित है।''

हाफिज़ इब्ने रजब रहिमहुल्लाह की बात का उददेश्य समाप्त हुआ। जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि पंद्रह शाबान की रात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से कुछ भी साबित नहीं है। जहाँ तक इमाम औज़ाई रहिमहुल्लाह का संबंध है कि उन्हों ने अकेले व्यक्तियों के लिए उस रात के क़ियाम को मुसतहब समझा है, और हाफिज़

इब्ने रजब ने इस कथन को चयन किया है, तो वह एक विचित्र और कमज़ोर बात है। क्योंकि हर वह चीज़ जिसका धर्मसंगत होना शरई प्रमाणों से प्रमाणित नहीं है, मुसलामन के लिए उसे अल्लाह के दीन में पैदा करना जायज़ नहीं है, चाहे वह उसे अकेले करे या समूह के साथ करे, और चाहे वह छिपाकर करे या उसे खुल्लम खुल्ला करे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन सर्वसामान्य है : ''जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारे आदेश के अनुसार नहीं है तो वह अस्वीकृत है।'' इसके अलावा अन्य प्रमाण जो बिदअतों का खण्डन करने और उससे सावधान करने पर दलालत करते हैं।

इमाम अबू बक्र तर्तूशी रहिमहुल्लाह अपनी किताब : ''अल–हवादिस वल–बिदअ'' में कहते हैं, जिसकी इबारत यह है : ''इब्ने वज़्ज़ाह ने ज़ैद बिन असलम से रिवायत किया है कि उन्हों ने कहा : हम ने अपने गुरूओं और धर्म शास्त्रियों में से किसी एक को भी पंद्रह शाबान की ओर आकृष्ट होते नहीं पाया है, और न तो उन्हें मकहूल की हदीस की ओर ध्यान करते हुए पाया, तथा वे उस रात की अन्य रातों पर कोई विशेषता नहीं समझते थे।''

इब्ने अबी मुलैका से कहा गया : ज़ियाद नुमैरी कहता है कि : ''पंद्रह शाबान की रात का सवाब लैलतुल–क़द्र के सवाब की तरह है।'' तो उन्हों ने कहा : ''यदि मैं उसे ऐसा कहते हुए सुनता और मेरे हाथ में लाठी होती तो मैं उसकी पिटाई करता।'' ज़ियाद एक कथावाचक था। उददेश्य समाप्त हुआ।

अल्लामा शौकानी रहिमहुल्लाह ने ''अल–फवाइदुल मजमूआ'' में फरमाया, जिसकी इबारत यह है : '' हदीस : ऐ अली! जिसने पंद्रह शाबान की रात को ग्यारह रकअत नमाज़ पढ़ी, जिसकी हर रकअत में वह सूरतुल फातिहा और ग्यारह बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है तो अल्लाह उसकी हर ज़रूरत को पूरी कर देगा ....अंत तक, यह एक मनगढ़त रिवायत है, और उसके शब्दों में उसके पढ़ने वाले के लिए ऐसे सवाब के मिलने का स्पष्टीकरण किया गया है कि जिसके मनगढ़त होने में

किसी विवेक रखने वाले व्यक्ति को शंका नहीं हो सकता। उसके रिवायत करनेवाले लोग मजहूल (अज्ञात) हैं, उसे एक दूसरे और तीसरे तरीक़ (सनद) से भी रिवायत किया गया है जो सब के सब मनगढ़त हैं और उनके रिवायत करने वाले मजहूल (अज्ञात) हैं। तथा ''अल–मुख्तसर'' में फरमाया : अर्द्ध शाबान की नमाज़ बातिल (असत्य) है, तथा इब्ने हिब्बान की अली की हदीस ''जब आधे शाबान की रात हो तो उसकी रात को इबादत में बिताओ और उसके दिन को रोज़ा रखो'' ज़ईफ है। तथा ''अल्लआली'' में फरमाया : दैलमी वगैरह की आधे शाबान की रात को दस बार सूरतुल इख्लास के साथ सौ रकअत नमाज़ अपनी लंबी फज़ीलत के साथ, मौज़ूअ (मनगढ़त) है, और उसके बहुल रावी (उल्लेखकर्ता) तीनों तरीक़ में मजहूल (अज्ञात) और ज़ईफ हैं। वह कहते हैं : तथा तीस बार इख्लाम के साथ बारह रकअतें मौज़ू (मनगढ़त) है, और चौदह रकअत वाली हदीस मनगढ़त है।

इस हदीस से फुक़हा का एक समूह जैसे किताब ''एहयाओ उलूमिददीन'' के लेखक वगैरह और इसी तरह कुछ मुफस्सिरीन धोखे में पड़ गए हैं। इस रात की नमाज़ अर्थात : अर्द्ध शाबान की रात की नमाज़ विभिन्न तरीक़ों और रूपों से रिवायत की गई है जो सब के असत्य, झूठ और मनगढ़त हैं। तथा यह तिर्मिज़ी में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उस हदीस के विरूद्ध नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बक़ीअ जाने, आधे शाबान की रात रब के आसमानी दुनिया पर उतरने, और बनू कल्ब की बकरियों के बालों की संख्या से भी अधिक लोगों को क्षमा कर देने का उल्लेख है, क्योंकि बात का विषय इस रात में गढ़ ली गई नमाज़ के बार में है। जबकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस हदीस में भी कमज़ोरी और विच्छेद पाया जाता है। इसी तरह इस रात को इबादत में गुज़ारने के बारे में उपर्युक्त हदीस भी इस नमाज़ के मनगढ़त होने का विरोध नहीं करती है, जबकि उस हदीस में भी कमज़ोरी पाई जाती है जैसा कि हम इसका उल्लेख कर चुके हैं।'' अंत हुआ।

हाफिज़ अल–ईराक़ी कहते हैं : (अर्द्ध शाबान –पंद्रह शाबान– की रात की नमाज़ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर झूठ गढ़ ली गई है। तथा इमाम नववी अपनी किताब ''अल–मजमूअ'' में फरमाते हैं : रगाइब के नाम से जानी जानेवाली नमाज़, जो रजब के महीने के पहले जुमा की रात को मगरिब और इशा के बीच बारह रकअत पढ़ी जाती है, तथा पंद्रह शाबान की रात को सौ रकअत नमाज– यह दोनों नमाज़ें घृणित बिदअतें हैं। और इस बात से धोख नहीं खाना चाहिए कि इन दोनों का वर्णन ''कूतुल कुलूब'' और ''एहयाओ उलूमिददीन'' नामी किताबों में हुआ है, और न तो इन दोनों नमाज़ों के बारे में वर्णित हदीसों से धाख खाना चाहिए ; क्योंकि वे सब के सब बातिल (असत्य और झूठ) हैं। इसी तरह कुछ उन इमामों से भी धोखा में नहीं पड़ना चाहिए जिसके ऊपर इन दोनों नमाज़ों का हुक्म संदिग्ध हो गया और उसने इनके मुसतहब होने के बार में कुछ पृष्ठ लिख डाले। क्योंकि उससे इस विषय में गलती (त्रुटि) हुई है।)

शैख इमाम अबू मुहम्मद अब्दुर्रहमान बिन इसमाईल अल–मक़दसी ने इन दोनों नमाज़ों के खण्डन में एक उत्कृष्ट पुस्तक लिखी है, और बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, इस मुददे के बारे में विद्वानों की बातें बहुत अधिक हैं, अगर हम इस बारे में हर उस बात का वर्णन करने चलें जिन पर हम अवगत हुए हैं, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, शायद हम ने जो कुछ उल्लेख किया है वह सत्य के खोजी के लिए पर्याप्त और संतोषजनक है।

उपर्युक्त आयतों, हदीसों और विद्वानों की बातों से, सत्य के खोजी के लिए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पंद्रह शाबान की रात को नमाज़ वगैरह के द्वारा जश्न मनाना, और उसके दिन को रोज़े के साथ विशिष्ट करना अधिकांश विद्वानों के निकट एक घृणित बिदअत है। पवित्र शरीअत में उसका कोई आधार नहीं है, बल्कि वह उन चीज़ों में से है जो इस्लाम में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने के बाद पैदा हुई

है। सत्य के खोजी के लिए इस अध्याय में अललाह सर्वशक्तिमाम का यह कथन पर्याप्त है :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]

''आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म संपूर्ण कर दिया, और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दीं और इस्लाम को तुम्हारे लिए धर्म स्वरूप पसन्द कर लिया।'' (सूरतुल मायदा : 3)

और इसके अर्थ में आनेवाली अन्य आयतें, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान :

''जिसने हमारी इस शरीअत में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जिसका उससे कोई संबंध नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकृत) है।''

और इसके अर्थ में वर्णित अन्य हदीसें।

तथा सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जुमा की रात को अन्य रातों के बीच क़ियाम के साथ विशिष्ट न करो, तथा उसके दिन को अन्य दिनों के बीच रोज़े के साथ विशिष्ट न करो, सिवाय इसके कि वह ऐसे रोज़े के दिन में हो जिसका तुम में से कोई रोज़ा रखता हो।'' यदि किसी रात को किसी इबादत के साथ विशिष्ट करना जायज़ होता, तो जुमा की रात इसके लिए अन्य रातों से बेहतर थी। क्योंकि उसका दिन सबसे बेहतर दिन है जिसपर सूरज उदय होता है, जैसा कि इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से स्पष्ट हदीस वर्णित है। चुनाँचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे अन्य रातों के बीच क़ियाम के साथ

विशिष्ट करने से मना कर दिया, तो इससे पता चला कि उसके अलावा अन्य किसी रात को किसी भी इबादत के साथ और भी विशिष्ट नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि कोई दलील आ जाए जो विशिष्ट करने का तर्क देती हो।

जब लैलतुल क़द्र और रमज़ान की रातों का क़ियाम करना और उसमें भरपूर प्रयास करना धर्मसंगत था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मत को इससे अवगत कराया, और उसका क़ियाम करने पर उम्मत को उभारा और उसे स्वयं करके दिखाया, जैसाकि सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि आप ने फरमाया :

'' जिसने ईमान के साथ और अज्र व सवाब की आशा रखते हुए रमज़ान का रोज़ा रखा उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिए जायेंगे। और जिसने ईमान के साथ और अज्र व सवाब की आशा रखते हुए लैलतुल क़द्र को क़ियाम किया (अर्थात् अल्लाह की इबादत में बिताया) तो उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिए जाएँ गे।''

तो यदि पंद्रह शाबान की रात को, या रजब के महीने के पहले जुमा की रात या इस्रा और मेराज की रात को किसी जश्न या किसी इबादत के साथ विशिष्ट करना धर्मसंगत होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत को उसकी ओर मार्गदर्शन करते, या उसे स्वयं करते। और अगर इनमें से कोई चीज़ घटित हुई होती तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उसे उम्मत तक अवश्य पहुँचाते, उसे उनसे गुप्त नहीं रखते, जबकि वे अंबिया अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम के बाद सबसे अच्छे लोग और सबसे बड़े शुभचिंतक थे। अल्लाह तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा से प्रसन्न हो और उन्हें प्रसन्न कर दे। और अभी आपको विद्वानों की बातों से पता चल गया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, तथा आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अनहुम से, रजब के पहले जुमा की रात, तथा पंद्रह शाबान की रात की फज़ीलत में कोई भी चीज़ साबित नहीं है। अतः इससे पता चला कि उन दोनों रातों का जश्न मनाना इस्लाम के अंदर एक नई ईजाद कर ली

गई बिदअत है। इसी तरह उसे किसी भी तरह की इबादत के साथ विशिष्ट करना एक घृणित बिदअत है। इसी तरह सत्ताईस रजब की रात को, जिसे कुछ लोग इस्रा और मेराज की रात मानते हैं, किसी भी इबादत के साथ विशिष्ट करना जायज़ नहीं है। जिस तरह कि पिछले प्रमाणों के आधार पर उस रात को जश्न मनाना जायज़ नहीं है। यह उस स्थिति में है जब उसकी जानकारी हो, तो भला बतलाईये कि उस समय क्या हुक्म होगा जबकि विद्वानों के कथनों में से सही कथन के अनुसार उसकी जानकारी नहीं है ! और जिसने यह कहा है कि : वह सत्ताईस रजब की रात है, तो उसका कथन असत्य है, सहीह हदीसों में उसका कोई आधार नहीं है। और किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है कि :

गुज़री हुई बातें में सबसे अच्छी बात वह है जो हिदायत पर हो *** और सबसे बुरी बात नई ईजाद कर ली गई बिदअतें है।

अल्लाह ही से प्रश्न है कि हमें और अन्य सभी मुसलमानों को सुन्नत को दृढ़ता से थामे रहने, उस पर जमे रहने और उसके विरूद्ध चीज़ों से बचने की तौफीक़ प्रदान करे, निःसंदेह वह बड़ उदार और दानशील है, तथा अल्लाह तआला अपने बन्दे और रसूल हमारे ईश्दूत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, और उनकी संतान और सभी साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।

(अनुवाद : अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)